राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/ 76682 दिनांकः- 21/11/2017

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः–विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत देय फीस के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 9 के अन्तर्गत विलम्बित देय फीस लिए जाने का प्रावधान है। परन्तु ज्ञात हुआ है कि रजिस्ट्रारों के द्वारा विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत प्रकरणों में निर्धारित शुल्क 1/– रूपये वसूल नही किये जा रहे है और न ही रसीद काटी जा रही है जो कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उक्त कृत्य से राज्य आय की भी हानि है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त रजिस्ट्रारों को विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत प्रकरणों में देय फीस वसूल किये जाने के संबंध में पाबन्द करावें।

भवदीय,

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव